राजस्थान सरकार

वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 27.12.2021

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि वित्त (व्यय-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/व्यय-3/2021 दिनांक 07.08.2021 के द्वारा लागू इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि में निष्पादित पचास हजार रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया जायेगा।

[सं.एफ.2(18)वित्त/कर/2020-87]

राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग को बारकोड संख्या 172100671 दिनांक 07.12.2021 के द्वारा प्रेषित नोट के संदर्भ में।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

F:\Ramzan A\Notification_Hindi_A4.docx